संख्याः-7/367/34/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 03 फरवरी 2026 जनवरी, 2026

विषयः- विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका संख्या-116/2018 'कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य' में, दिनॉक 12.11.2018 को हुई सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत् अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

(A) The state government is directed to regularise the employees sponsored through UPNL in a phased manner within a period of one year as per regularization schemes framed from time to time.

(B) The state Government is directed to ensure that the employees sponsored by UPNL get minimum of pay-scale with dearness allowance along with arrears to be paid within a period of six month from today.

(C) The respondents are directed not to deduct any GST or Service Tax from the salary of the employees sponsored by UPNL.

2. उक्त आदेश के अनुपालन हेतु, 'उत्तराखण्ड उपनल कर्मचारी संघ' द्वारा अवमानना संख्या-402/2024 योजित किया गया, जिसमें दिनॉक 20.11.2025 की सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये हैः-

'---Learned Advocate General submits that the Government is much serious to comply with the directions of the Court. He submits that the government has taken a call on it and a sub-Committee has been formulated

in the month of November, which has been given two months' time to submit a report as to how in a phased manner the directions of the Court may be implemented. He submits that by some time mid in the month of January, a report would be received and, thereafter, decision would be taken for implementation in the matter.

The Court takes on record the statement given by learned Advocate General and learned Chief Standing Counsel.

List this matter on 12-02-2026.

On that date, the State shall inform the Court as to what action has been taken for compliance of the Court's order pursuant to the sub-Committee's report.

3. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 12.11.2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) उपनल कार्मिक, जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महॅगाई भत्ता प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 में पारित आदेश की तिथि 12.11.2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जायेगी।

(2) राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय मंहगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(3) संबंधित विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी/पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय मंहगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्नानुसार अनुमन्य होगा-

श्रेणी	अधिकतम अनुमन्य वेतन लेवल	अभ्युक्ति
1	2	3
अकुशल	01	स्तम्भ 2 में अंकित वेतन लेवल अथवा उस पद के वेतन लेवल का न्यूनतम (Entry Level) जिसके सापेक्ष उसे कार्योजित किया जायेगा, में से जो भी कम हो, का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता अनुमन्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते अनुमन्य नही होंगे।
अर्द्धकुशल	02	
कुशल	04	
उच्च कुशल	07	
अधिकारी	10	

(4) कार्मिक संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं रखता हो, अन्यथा की स्थिति में उसे उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाय।

(5) संबंधित कार्मिक की प्रास्थिति, कार्मिक अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–111 /X X X (2)/2018–30(12)2018, दिनांक 27.04.2018 एवं शासनादेश संख्या–379 /XXX (2)/2018–30(12)2018, दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नियमित कार्मिकों के समान नहीं होगी तथा इस संबंध में उसे जिस पद/श्रेणी के सापेक्ष नियोजित किया गया है, उस पद का प्रारम्भिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि आंकलित की जायेगी, उसका भुगतान संबंधित कार्मिक को मानदेय के रूप में किया जायेगा।

(6) संबंधित कार्मिक वर्तमान में जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा हो, उसी पद के वेतनमान के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यदि कार्मिक के कार्य की प्रकृति में परिवर्तन किया गया है तो उसी पद/श्रेणी के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जायेगा, जिस पर उसे प्रारम्भिक रूप से कार्योजित किया गया हो।

(7) यदि कोई कार्मिक स्वीकृत पद के बिना कार्य कर रहा हो तो उसे समूह 'घ' के वेतनमान का न्यूनतम या उस संवर्ग के प्रारम्भिक (सीधी भर्ती के) पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर अन्य समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाये। पद स्वीकृति के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जायेगा।

(8) कार्मिकों को संबंधित विभाग एवं संबंधित कार्मिक के मध्य अनुबन्ध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जायेगा। विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को सीधे अनुबन्ध पर रखे जाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कार्मिकों के मध्य अनुबन्ध की शर्तो का निर्धारण करते हुए अनुबन्ध का प्रारूप निर्गत किया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा पात्र उपनल कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी, जिसका अनुमोदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया जायेगा। पात्र कार्मिकों के सत्यापन एवं अनुबन्ध आदि कार्यो का निष्पादन शासनादेश निर्गत होने के दो माह के अन्दर कर लिया जायेगा।

(10) प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कर्मियों, जिनके द्वारा पत्र संख्या–1433/XVII–C–1/12(18)रिट2018/2025, दिनॉक 25.11.2025 को 10 वर्ष की निरन्तर सेवायें पूर्ण कर ली गई हों, को ही प्रारम्भिक वेतनमान एवं महॅगाई भत्ते को जोड़कर, जो भी धनराशि आंकलित होगी, को मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।

(11) ऐसे पद, जिनके सापेक्ष उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उपनल कर्मियों को रखा जायेगा, उन पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा न्यायिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के आलोक में कार्मिक, न्याय एवं वित विभाग की पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

(12) भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बंधी कार्य सम्पादित किये जायेंगे, जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी होगें।

4. अतः कृपया विभागों में, उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के सन्दर्भ में, उपरोक्तानुसार नियमानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने एवं कृत

कार्यवाही से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. यह आदेश वित्त विभाग के ई–आफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या–I/365889/2026 दिनॉक 29.01.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 03-02-2026 12:08:30

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्याः–I/367/36/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल), देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JYOTI SINGH
Date: 03-02-2026
12:20:33

(ज्योति सिंह)
अनुसचिव।